UPHR010063882022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

(J.O. Code-U.P.1889)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2678/2022

सचिन कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम बढ़मलक-68 थाना राई जनपद सोनीपत, हरियाणा।

----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य----------विपक्षी/अभियोगी।

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सचिन कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-292/2022, धारा-363, 366 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमती कल्पना कुमारी का शपथपत्र संलग्न किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सूरत की नाबालिग पुत्री/पीड़िता आयु 16 वर्ष, जो दिनांक 05-08-2022 को समय 02.00 बजे दिन कपड़े लेने गयी थी और वापस घर नहीं आयी। दिनांक 27-09-2022 को वादी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता को पुलिस द्वारा सरेहरी चौराहे के पास से बरामद किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में कथन किया कि वह अपने पिता के डांटने पर सोनीपत, हरियाणा चली गयी थी। जब उसके पापा सोनीपत में काम करते थे तो वह भी साथ में रहती थी और तभी से अभियुक्त को पहचानती है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया कि प्र०सू०रि० काफी विलम्ब से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वह प्र०सू०रि० में नामित नहीं है। वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। अतः जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई।

विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाया गया। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा केस डायरी सहित अन्य समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त प्र०सू०रि० में नामित नहीं है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० एवं धारा 164 दं०प्र०सं० में स्पष्ट कथन किया है कि

अभियुक्त ने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए। पीड़िता स्वयं घर से पिता के डांटने पर नाराज होकर सोनीपत, हरियाणाा चली गई थी। आवेदक/अभियुक्त दि० 28–09–2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुनने, केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान का अवलोकन करने, परन्तु अपराध के गुणदोष पर मत व्यक्त किये बिना मैं आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार पाता हूँ।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सचिन कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा **मु० 40,000/– (चालीस हजार) रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर, प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन पर जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–

1. आवेदक/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।
2. दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जावेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त आरोप एवं धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने जाने हेतु नियत दिनांक एवं न्यायालय द्वारा निर्देशित अन्य तिथियों पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लघंन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(राज कुमार सिंह)

दिनांकः 14–10–2022

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।